दिनांक 21.08.2013 को उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 की अध्यक्षा में जे0आर0डी0ए0 के कार्यो की प्रगति समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

1. उपायुक्त के द्वारा साउथ गोबिन्दपुर के पास धौरा (रेलवे साईडिंग) के भू–धसान से प्रभावित परिवारों के विषय में पुछे जाने पर प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि उपर्युक्त स्थल के 32 परिवारों का सर्वेक्षण आपातकालीन स्थिति में विशेष परिस्थिति में कराना पड़ा क्योंकि इस स्थल का नाम मास्टर प्लान में नही है। उपायुक्त का निदेश हुआ कि इस संबंध में निदेशक (तकनीकि), बी0सी0सी0एल0 को पत्र दिया जाय।

2. CIMFR के विपत्र की जाँच एवं सर्वे से संबंधित सभी आंकड़ो को कम्प्युटराईज करने के संबंध में पुछे जाने पर वरीय प्रबंधक (एम0आई0एस0) ने बताया कि CIMFR के विपत्रों का जाँच कार्य जारी है। उसके एक विपत्र को जाँच कर शीघ्र कार्रवाई कर दी जायेगी। सर्वे से संबंधित data degitalization के संबंध में पूछे जाने पर उन्होने बतलाया कि इस कार्य में तत्काल कोई कार्रवाई नही हो पाई है। प्रबंध पर्षद के अब तक सम्पन्न सभी बैठकों की कार्यवाही तथा वर्त्तमान उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न सभी समीक्षात्मक बैठकों की कार्यवाही को जे0आर0डी0ए0 के Website पर upload कर दिया गया है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि सर्वेक्षित स्थलों के परिवारों के मुखिया का नाम (सम्पूर्ण Detail सहित), स्थल का नाम (कोलियरी/क्षेत्र आदि), Demography / Homestead इत्यादि विवरणियों को चरणबद्ध तरीके से offline digitalize किया जाय। यह भी निदेश हुआ कि सर्वे से संबंधित Bid Document में दिये गये अनुसूचियों को सुधार कर सुलभ, स्पष्ट और उपयोगी बनाया जाय। यदि आवश्यक हो तो ADDA से भी सम्पर्क स्थापित किया जाय। CIMFR से संबंधित एक विपत्र से संबंधित कार्रवाई पन्द्रह दिनों में उप विकास आयुक्त, धनबाद की देख–रेख में जाँच किया जाय।

3. ऐसे स्थल जिसका मास्टर प्लान में उल्लेख नही है मगर जिनका सर्वेक्षण कराना है या हो चुका है से सम्बंधित स्थलों का अनुमोदन भा0को0को0लि0 के निदेशक (तकनीकि) द्वारा कराया जाय एवं उसके बाद जे0आर0डी0ए0 बोर्ड द्वारा पारित कराने का प्रस्ताव दिया जाय।

4. Sitewise family details, sitewise institutional infrastructural, Legal title holder आदि के पूर्ण details का डाटाबेस तैयार करने का उपायुक्त का आदेश हुआ।

5. Legal title holder का अलग से SOP तैयार किया जाने का भी आदेश हुआ।

6. आर0एस0पी0 कॉलेज को आग से बचाने के लिए पाईप लाईन हटाने के कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने का निदेश हुआ।

7. भू–अर्जन के मामले की समीक्षा के कम में उपायुक्त का आदेश हुआ कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद जे0आर0डी0ए0 के द्वारा विमुक्त की गयी राशि का भू–अर्जनवादवार पूर्ण लेखा–जोखा जे0आर0डी0ए0 को उपलब्ध कराये।

8. श्री युगल किशोर, प्रभारी भू–अर्जन को आदेश हुआ कि वे जे0आर0डी0ए0 के कार्यो के लिए अपना अधिकारिक समय DLAO कार्यालय में दिया करें एवं आवश्यकतानुसार पड़ने पर सहायता करें।

9. बेलगड़िया के Zone – B के 37.56 एकड़ जमीन के विषय में श्री शिवपूजन सिंह को तथाकथित बाहरी व्यक्ति बताने की चर्चा में महाप्रबंधक, भू–सम्पदा, बी0सी0सी0एल0 ने बताया कि श्री शिवपूजन सिंह सही व्यक्ति हैं। उपायुक्त का आदेश हुआ कि वे Supporting कागजात शीघ्र जे0आर0डी0ए0 को उपलब्ध करावे।

10. बेलगड़िया में चल रहे निर्माण कार्य के Quality Control पर चर्चा के कम में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता के संबंध में कोई समझौता नही होगा एवं इसकी नियमित रूप से जाँच की जाय एवं उन्हें सूचना दी जाय।

11. बेलगड़िया के मार्केट कॉम्प्लेक्स के आवंटन के संबंध में आदेश हुआ कि स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन देने के बाद आवंटन की कार्रवाई आरम्भ की जाय।

धन्यबाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

16/09/13

उपायुक्त, धनबाद